न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 10/2025 तारीख रजू:– 07.03.2025

जीसीएमएस नं. 2025/95

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

श्रीमति रजनी पत्नि श्री अमरसिंह जाति जाटव निवासी बाजना खुर्द तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————————————— प्रार्थीया

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0 – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज नाम अमरसिंह पुत्र दाताराम

के स्थान पर सही नाम अमर सिंह पुत्र कारया दर्ज कराने बावत।

उपस्थितः– 1. श्री बनैसिंह जगरवाल एडवोकेट प्रार्थी

निर्णय

दिनांक :– 09.04.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थीया के पति अमरसिंह पुत्र दाताराम के स्थान पर अमर सिंह पुत्र कारया दर्ज करने हेतु पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि प्रार्थीया गांव बाजना खुर्द तहसील हिण्डौन, जिला करौली राजस्थान की मूल निवासी है। प्रार्थीया के पति का सही नाम अमरसिंह पुत्र कारया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि खाता संख्या नया 318 व पुराना नम्बर 301 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 1412 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम बाजना खुर्द तहसील हिण्डौन सिटी में स्थित है। जिसमें प्रार्थीया के पति का नाम सहवन से अमरसिंह पुत्र दाताराम दर्ज हो गया है। जो गलत है। प्रार्थीया के पति का सही एवम् बास्तविक नाम अमर सिंह पुत्र कारया है। प्रार्थीया के पति अमरसिह के पिता का नाम कारया के स्थान पर दाताराम गलत दर्ज हो गया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 2 प्रार्थना पत्र में राजस्व रिकोर्ड में सहवन से अमर सिंह पुत्र दाताराम लिखा हुआ है, जबकि प्रार्थीया के पति सही नाम अमर सिंह पुत्र कारया है। जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थीया के पति के अन्य राजस्व रिकोर्ड खाता संख्या नया 85 व पुराना 79 में अमर सिंह पुत्र कारया व खाता संख्या नया 84 व पुराना 301 में अमर सिंह पुत्र कारया दर्ज है तथा प्रार्थीया के पति के मृत्यु प्रमाण पत्र में अमरसिंह जाटव पुत्र कारया जाटव दर्ज है तथा भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र में प्रार्थीया के पति का नाम अमर सिंह पुत्र कारया दर्ज है। जिसे न्याय हित में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थीया के पति का सही नाम अमर सिंह पुत्र कारया है। जिसे राजस्व रिकोर्ड में संशोधित किया जाना आवश्यक है। जिसे राजस्व रिकोर्ड खाता संख्या 318 में अमर सिंह पुत्र दाताराम के स्थान पर अमरसिह पुत्र कारया दर्ज किया जाना आवश्यक एवम न्याय सगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थीया के पति अमर सिंह पुत्र कारया जाति जाटव निवासी बाजना खुर्द तहसील हिण्डौन की मृत्यु दिनांक 18.03.2012 को हो गयी है। अब प्रार्थीया विरासत का नामान्तकरण पटवारी हल्का के पास खुलवाने गयी तो उक्त गलती का पता चलने पर पटवारी हल्का के पास अपने पति के नाम अमरसिंह पुत्र दाताराम के स्थान पर अमरसिंह पुत्र कारया दर्ज करवाने के लिये कहा। पटवारी हल्का ने तहसीलदार हिण्डौन के पास जाने को कहा तो इस बाबत तहसीलदार हिण्डौन से बार बार निवेदन किया जा चुका है। अन्त में दिनांक 27.02.2025 को प्रार्थीया ने तहसीलदार हिण्डौन से प्रार्थीया के पति का नाम अमरसिंह पुत्र दाताराम के स्थान पर अमरसिंह पुत्र कारया दर्ज करने को कहा तो तहसीलदार ने सक्षम अदालत से आदेश लाने को कहा है। इस कारण यह प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र माननीय अदालत हाजा को प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जा रहा है। जिस पर उचित कोर्ट फीस एक रूपया होती है। जो अदा की गयी है।

अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया के पति अमरसिंह की आराजीयात मुतजिका मद नम्बर 2 प्रार्थना पत्र खाता संख्या नया 318 व पुराना 301 के राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थीया के पति का नाम अमरसिंह पुत्र दाताराम के स्थान पर अमर सिह पुत्र कारया दर्ज कर राजस्व रिकोर्ड में संशोधन कर दिया जावे। अन्य दादरसी जो करीने इंसाफ वहक प्रार्थीया साबित हो वह भी अता फरमायी जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुए और ना ही उन्होंने कोई जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया है।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071—74 किता 2, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण सं0 5/12 जारी दिनांक 20.03.2012 अमर सिंह जाटव पुत्र कारया जाटव निवासी बाजना खुर्द पो0 बाजना कला तहसील हिण्डौन जिला करौली, फोटो प्रति भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र क्रमांक आरजे/11/086/156417 अमरसिंह पुत्र कारया जाटव बस्ती, बाजना खुर्द तहसील हिण्डौन जिला करौली, असल प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत बाजना कलां पंचायत समिति हिण्डौन के द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 03.03.2025 पेश किये हैं।

वकील प्रार्थीया उपस्थित। वकील प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1412 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी के कॉलम में अमरसिंह पुत्र दाताराम हिस्सा 1/8 जाति– जाटव सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताविक राजस्व रिकार्ड दर्ज रिकार्ड हैं।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1406/1538 रकबा 0.10 है0, 1410 रकबा 0.18 है0, 1411 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी के कॉलम में अमरसिंह पुत्र कारया हिस्सा 1/9 जाति– जाटव सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताविक राजस्व रिकार्ड दर्ज रिकार्ड हैं।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1409 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम बाजना खुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी के कॉलम में अमरसिंह पुत्र कारया हिस्सा–1/6 जाति– जाटव सा. देह खातेदार अमरसिंह पुत्र दाताराम हिस्सा– 1/8 जाति–जाटव सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताविक राजस्व रिकार्ड दर्ज रिकार्ड हैं।

फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण सं0 5/12, जारी दिनांक 20.03.2012 अमर सिंह जाटव पुत्र कारया जाटव निवासी बाजना खुर्द पो0 बाजना कला तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र की प्रति क्रमांक आरजे/11/086/156417 अमरसिंह पुत्र कारया पता जाटव बस्ती, बाजना खुर्द, त0 हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

असल प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत बाजना कलां पंचायत समिति हिण्डौन के द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 03.03.2025 में अंकित किया है

कि प्रमाणित किया जाता है कि अमरसिंह पुत्र कारया जाति जाटव निवासी बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान का मूल निवासी था। इनके वारिशांक रजनी पत्नि, एवं चार पुत्र अरूण कुमार, पंकज, नवीन, वेदप्रकाश हैं। जिन्हें में भली प्रकार से जानती हूँ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया के पति अमरसिंह के पिता का सही नाम कारया है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी पति अमरसिंह के पिता का नाम दाताराम गलत दर्ज हो गया है। जिसकी प्रार्थीया दुरूस्ती कराने की अधिकारी साबित है। ऐसे हालात में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1412 रकबा 0.16 है0, 1409 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन में खातेदार अमरसिंह पुत्र दाताराम हिस्सा 1/8 जाति जाटव सा. देह खातेदार के स्थान पर अमरसिंह पुत्र कारया हिस्सा 1/8 जाति जाटव सा. देह खातेदार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करने के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगे। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/4/26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली